न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024/144(103/24) दर्ज तिथिः—06.05.2024

1. आम्बाराम पुत्र दुर्गाराम
2. दानाराम पुत्र दुर्गाराम
3. नानजीराम पुत्र दुर्गाराम
4. नीम्बाराम पुत्र दुर्गाराम
5. प्रतापाराम पुत्र दुर्गाराम
6. माहिगाराम पुत्र दुर्गाराम
7. सुजानाराम पुत्र दुर्गाराम
8. करमीराम पुत्र माधाराम
9. जोराराम पुत्र माधाराम
10. दानाराम पुत्र माधाराम
11. चूनीदेवी पत्नी हमीराराम
12. दीपाराम पुत्र हमीराराम
13. जीवा पुत्र लिछमणा
14. देवाराम पुत्र लिछमणा
15. माहिंगा पुत्र लिछमणा
16. वीरमा पुत्र लिछमणा
17. सावला पुत्र लिछमणा
18. हाजा पुत्र लिछमणा
19. राणा पुत्र सगरामा
20. हीरा पुत्र सगरामा
21. सवाराम पुत्र हमीराराम

जाति रबारी निवासी खारवा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. अणदाराम पुत्र केवाराम
2. केलीदेवी पत्नी भगाराम
3. केशीदेवी पत्नी लाखाराम
4. गिरधारीराम पुत्र लाखाराम
5. गोबराराम पुत्र भलाराम संरक्षक केलीदेवी पत्नी भलाराम
6. ज्योत्सना पुत्री भलाराम संरक्षक केली पत्नी भलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.21 12:58:25 IST
Reason: SelfAttested

7. जोगा पुत्र तुलछाराम
8. नेनू पत्नी केवाराम
9. नरीगा पुत्र मूला
10. पताराम पुत्र लाखाराम
11. मु.अतियो पत्नी तुलछा
12. ममता पुत्री भलाराम संरक्षक केलीदेवी पत्नी भलाराम
13. महादेवाराम पुत्र तुलछा
14. महींगाराम पुत्र लाखराम
15. रतना पुत्र तुलछा
16. रामाराम पुत्र भलाराम संरक्षक केलीदेवी पत्नी भलाराम
17. सावलाराम पुत्र लाखाराम
18. हमीराराम पुत्र लाखाराम जातियान रबारी निवासी सोढों की ढाणी
19. अर्जुनराम पुत्र बिजला
20. चतरा पुत्र दुर्गा
21. चाम्पाराम पुत्र बिजला
22. छोगाराम पुत्र वालाराम
23. तेजा पुत्र दुर्गा
24. नानजीराम पुत्र वालाराम
25. पीरा पुत्र गोकला
26. बीजलाराम पुत्र चिमनाराम
27. भावाराम पुत्र वालाराम
28. भीमाराम पुत्र चिमनाराम
29. रामाराम पुत्र बिजला
30. वगतूदेवी पत्नी वालाराम
31. शंकराराम पुत्र चिमनाराम
32. सवलाराम पुत्र बिजला
33. हरा पुत्र दुर्गा जातियान रबारी निवासी सोढों की ढाणी
34. अजा पुत्र मोटा
35. चिमना पुत्र शेम्भू फौत (विलोपित)
36. जगू पुत्र भीखा
37. तेजा पुत्र होती
38. देवाराम पुत्र वरदा
39. नरीगा पुत्र मोटा
40. नवा पुत्र मोटा
41. निम्बाराम पुत्र प्रहलाद
42. पता पुत्र होती
43. पीरा पुत्र गोकला
44. बीजला पुत्र गोकला फौत (विलोपित)
45. भगा पुत्र होती
46. भारमल पुत्र मोटा
47. मुकनाराम पुत्र पहलादराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.21 12:58:25 IST
Reason: SelfAttested

48. मथरो पत्नी मोटा फौत (विलोपित)
49. माहिंगा पुत्र प्रहलाद
50. हासी पत्नी गोकला फौत (विलोपित)
जाति रबारी निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर
51. भूपाराम पुत्र देरामा
52. हरलाल पुत्र देरामा
53. लवगो पत्नी देरामा जातियान रबारी निवासी खारवा तहसील गुढामालानी
54. सरपं बजरिये ग्राम पंचायत खारवा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

......................असल अप्रार्थीगण

55. तहसीलदार गुढामालानी

..............तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री रामजीवन विश्नोई।
अप्रार्थीगणः–श्री चिमनसिंह चौधरी
एवं श्री जगदीश कडवासरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–21.06.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 477/4.6539 है0, वाके ग्राम खारवा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 30.03.2024 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 30.03.2024 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 17, 19 से 22, 2[illegible] 28 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद [illegible] उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.21 12:58:25 IST
Reason: SelfAttested

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 30.03.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 17, 19 से 22, 24, 26 से 28 के अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया कि विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जावे।

4. मैंने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries****.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 वाके ग्राम खारवा में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम खारवा के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 30.03.2024 से भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.21 12:58:25 IST
Reason: SelfAttested

यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 477 को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 477/4.6539 है0, वाके ग्राम खारवा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर **पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।**

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 21.06.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुढामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.21 12:58:25 IST
Reason: SelfAttested